



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102022-239644
CG-DL-E-14102022-239644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4656]
No. 4656]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 13, 2022/आश्विन 21, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2022/ASVINA 21, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4866(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ 1388 (अ), दिनांक 19.06.2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

(i) सारणी में नोट्स के पैरा 1 के अंतर्गत, 168.300 किमी पर शुल्क प्लाजा का स्थान निम्नानुसार संशोधित होगा:

शुल्क प्लाजा का विद्यमान अवस्थान (चेनेज)	शुल्क प्लाजा का संशोधित अवस्थान (चेनेज)
एनएच-18 पर 168.300 किमी	आंध्र प्रदेश राज्य में वाईएसआर जिले के पाटीमेदापल्ली गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग -18 (नया एनएच 40) का 181.250 किमी

यह संशोधन आंध्र प्रदेश राज्य में वाईएसआर जिले के गांव पाटीमेदापल्ली के पास एनएच -40 के किमी 181.250 पर उपरोक्त स्थान पर शुल्क प्लाजा के निर्माण के बाद लागू होगा।

[फा. सं. NHAI/PIU-KDP/TollPlaza/2021]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ 1388(अ), दिनांक 19.06.2012 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2022

S.O. 4866(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. 1388(E), dated 19.06.2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

(i) In Table under para 1 of Notes, the Location of Fee Plaza at Km 168.300 shall stand revised as under:

Existing Location of Fee Plaza (Chainage)	Revised Location of Fee Plaza (Chainage)
Km 168.300 on NH-18	Km. 181.250 of National Highway-18 (New NH40) at Patimeedapalli village of YSR District in Andhra Pradesh State.

This amendment shall come into force after Construction of Fee Plaza at above location viz at Km.181.250 of NH-40 near village Patimeedapalli of YSR District in the state of Andhra Pradesh.

[फा. सं. NHAI/PIU-KDP/TollPlaza/2021]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.O.1388(E), dated 19.06.2012.